न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 16/2025
जीसीएमएस सं. 2025/17
अपीलांट्सः–

1. श्रीमती गजरी पुत्री स्व. श्री चोकाराम
2. चंपा देवी पुत्री स्व. श्री चोकाराम के कायम मुकाम–

   2/1 शिवरी पुत्री स्व. चंपा देवी

   2/2 निरमा पुत्री स्व. चंपा देवी

   2/3 भंवरी पत्नी स्व. श्री पुखराज पुत्र स्व. चंपा देवी

   2/4 शिवानी उम्र 12 वर्ष पुत्री स्व. पुखराज पुत्र स्व. चंपा देवी

   2/5 रोहित उम्र 10 वर्ष पुत्र स्व. श्री पुखराज पुत्र स्व. चंपा देवी

   2/6 अनु उम्र 08 वर्ष पुत्री स्व. श्री पुखराज पुत्र स्व. चंपा देवी

   समस्त जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. थानाराम पुत्र स्व. श्री चोकाराम
2. पाबूराम पुत्र स्व. श्री चोकाराम
3. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री चोकाराम
4. मृतक भागीरथराम पुत्र स्व. श्री चोकाराम के कायम मुकामान–

   4/1 प्रकाश

   4/2 महेन्द्र खावा

   4/3 संजय पुत्रान स्व. श्री भागीरथराम

   4/4 सीता पुत्री स्व. श्री भागीरथराम

   सभी जातियान विश्नोई निवासीगण मघाराम की प्याउ, ग्राम गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध नामांतरकरण सं. 964, जो अतिरिक्त तहसीलदार, लुणी, जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 06.06.1994 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित, श्री बंशी सिंह, खुश्बू कंवर (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह (प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 3 तक की ओर से)
3. अधिवक्ता रिंकू करेसिया, सूरज बिसावा (प्रत्यर्थीगण सं. 4/1 से 4/3 तक की ओर से)
4. प्रत्यर्थी सं. 4/4 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 23.01.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत, अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी द्वारा ग्राम गुडा विश्नोईयान के नामान्तरकरण संख्या–964 पर पारित आदेश दिनांक 06.06.1994 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 11.08.2023 को प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस/समन जारी किए गए तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री प्रतापसिंह राठौड़, ईश्वर सिंह व रिंकु करेसिया, सूरज बिसावा अधिवक्ता गण ने वकालतनामें पेश किए।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुड़ा विश्नोईयान की कृषि भूमि–खसरा नम्बर 300 रकबा–13 बीघा ख.न. 300/2 रकबा 20–13 बीघा, ख न 467 रकबा 19–10 बीघा तथा ख.न. 466/1 रकबा 08–12 बीघा, कुल खसरा 4, कुल रकबा 61–15 बीघा भूमि चोकाराम पुत्र तेजाराम विश्नोई की खातेदारी में दर्ज थी। चोकाराम की निर्वसीयता मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 06.06.1994 को केवल चोकाराम के पुत्र प्रत्यर्थीगण थानाराम, पाबूराम, मोहनलाल व भागीरथ राम के नाम ही दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। जबकि चोकाराम की तीन जायन्दा पुत्रियां अपीलांट गजरी व चम्पादेवी तथा मृतक समदु भी जीवित थी। परन्तु चोकाराम की सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की सही जांच किए बिना ही एक तरफा केवल पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जबकि पुत्रियां भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की अनुसूची में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। नामान्तरकरण स्वीकार करने की शक्तियां केवल ग्राम पंचायत को ही थी, परन्तु अतिरिक्त तहसीलदार ने क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर, विविध

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रावधानों की अनदेखी करते हुए, अपीलांटस को सुनवाई का किसी प्रकार का अवसर दिए बिना ही आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो अवैध होने से खारिज किया जावे। उक्त एकतरफा आदेश दिनांक 06.06.1994 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट्स को पटवारी हल्का से जमाबंदी/नामान्तरकरण की नकल लेने पर दिनांक 10.04.2023 को हुई। अपीलांट की अपील जानकारी की तारीख से अन्दर म्याद माना जाकर मेरिट पर सुनी जाकर स्वीकार की जावे। पुश्तैनी भूमि में पुत्रियों का भी पुत्रों के बराबर हक है।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक गण की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित वगैरा ने अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि स्वर्गीय चोकाराम के नाम ख.न. 300, 300/2, 466/1 एवं 467 की 61–15 बीघा पुश्तैनी कृषि भूमि थी। चोकाराम के सात संताने थी, जिसमें प्रत्यर्थी 1 से 4 पुत्र तथा पुत्रियां अपीलांट्स व समदु है। चोकाराम की मृत्यु पर नामान्तरकरण संख्या 964 अति. तहसीलदार लूणी द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके, सभी वारिशान की जांच किए बिना ही केवल पुत्रों के नाम ही दर्ज किया है तथा पुत्रियों के नाम दर्ज ही नहीं किए। चोकाराम के नाम से ग्राम पाबुपुरा कुम्हारान प.मं. खाराबेरा पुरोहितान में ख.नं. 209 रकबा 3.9093 हैक्टर भूमि भी आई हुई है, जिसमें अपीलांट्स गजरी व चम्पा के साथ–साथ समदु के वारिशानों के नाम भाईयों के साथ–साथ दर्ज किए गए है, परन्तु गुडा विश्नोईयान की आक्षेपित भूमि में अपीलांट्स के नाम दर्ज नही किए गए है। दिनांक 10.04.2023 को के.सी.सी. बनवाने हेतु पटवारी से जमाबंदी की नकल लेने पर जानकारी हुई कि अपीलाट्स के नाम दर्ज ही नही किए है। उक्त जानकारी होने पर यह अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु म्याद अधिनियम की धारा–5 के तहत अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसे स्वीकार किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में लिखित बहस अपील व म्याद प्रार्थना पत्र बाबत पेश की तथा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए–2002 RRD 667 प्रेमसिंह व अन्य बनाम चौबसिंह, कलक्टर लैण्ड एक्वीजीशन बनाम कतीजी, 1987(2) SCC 107 एन. बालाकृष्णन बनाम एम कृष्णामुलथी 1998(7) SCC 123, UIT Ludhiana v/s Ujagar Singh, 2010(6) SCC 786, S. Ganesh waraya v Narasamma, 2013(11) SCC 341, Gopal Lal VS State of Raj- 2018(2) DNJ(Raj) 847, भंवरलाल बनाम रेवेन्यु बोर्ड (2014) ।

विद्वान अधिवक्ता ने मेरिट पर बहस करते हुए तर्क दिया कि अपीलांटस हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी की चोकाराम की

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

वारिशान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा– विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पुत्रियों को भी जन्म से ही पुत्रों के समान अधिकार है। सन 2005 में धारा 6 में हुए संशोधन से उक्त व्यवस्था कर दी गई है।

Bala Krishan v/s Kishna multhai (1998) SCC 123 में विलम्ब को कन्डोन करने में उदार दृष्टिकोण अपनाने की व्यवस्था दी है, तकनीकी आधार पर अपील म्याद बाहर मानकर खारिज नहीं की जानी चाहिए। विलम्ब की अवधि के बजाय, विलम्ब का कारण महत्वपूर्ण है। इस अपील प्रकरण में अपीलांट्स ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिलाएं है, उनको आक्षेपित नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 10.04.2023 से पहले नहीं थी। जानकारी होते हुए, बिना विलम्ब किए अपील पेश कर दी गई है।

Ghanshyam das vs Dominion of India 1984 (3) SCC 146 में अभिनिर्धारित किया गया कि प्रक्रियात्मक कानून की व्याख्या, न्याय प्रदान करने की मंशा से करनी चाहिए तथा न्याय को अवरूद्ध करने के लिए नही किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने कमलादेवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2019(2) RLW 1423 (राजस्थान उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत का हवाला देते हुए कथन किया कि कृषि भूमि की खातेदारी में विरासत के मामले मेरिट पर तय किए जाने चाहिए। मात्र विलम्ब के आधार पर अपील को खारिज करना न्यायोचित नही है।

माननीय राजस्व मंडल ने भंवरलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान– 2016 RRD- 321 में अभिनिर्धारित किया है कि नामान्तरकरण की समरी–फिस्कल कार्यवाही है तथा वास्तविक उत्तराधिकारियों को मात्र विलम्ब के तकनीकी बिन्दु पर वंचित करना न्यायोचित नही है। 2018 RRD 58 में माननीय राजस्व मण्डल ने व्यवस्था दी है कि महिला उत्तराधिकारियों के प्रकरण में विलंब को उदारता से कन्डोन किया जाना चाहिए।

6. प्रत्यर्थी सं. 4 के वारिसान के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जावे तथा उनको, उनका हक मिलना चाहिए।
7. प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब व अपील का लिखित जवाब पेश किया तथा कथन किया कि अपीलांट्स के पिता चोकाराम का सन् 2005 में हिंदु उत्तराधिकार अधि. 1956 की धारा 6 में किये गये संशोधनों से पूर्व में देहांत हो गया था। सन् 2005 में संशोधनों से पूर्व, पुत्रियों को पिता की संपति में कोई अधिकार नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के संबंध में प्रकाश बनाम फुलवंती (AIR 2016 SC 769) की नजीर का हवाला दिया। अतः अपीलांट्स की अपील मेरिट पर भी खारिज योग्य है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विद्वान अधिवक्ता ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि यह अपील 29 वर्ष विलंब से पेश की गई है। अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट्स एक ही परिवार के सदस्य है, एक ही गांव में रहते है। अतः अपीलांट्स को आक्षेपित म्यूटेशन की पूर्व से ही पूरी जानकारी रही है। अपील पेश करने में हुई अत्यधिक देरी को पर्याप्त एवं ठोस कारणों से स्पष्ट नहीं किया है। आपसी मनमुटाव के कारण यह अपील पेश की है, जो स्पष्टतः म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र के जवाब के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया है:

AIR 1998 SC 2276, RRD 2003 Page 190, 1990 RRD 152, 1999 RRD 362 (बृजलाल), 1997 RRD 350(Sukh Dev Singh), AIR 2010 SC 3043(Balwant Singh)

विद्वान अधिवक्ता ने अपील को म्याद पर सुनवाई से पूर्व म्याद कन्डोन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण पहले करने के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया है:—

AIR 1998 SC 2276, RRT 2006(2) 1092 (करतार सिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू), RRT 2004(2) 1219 (Aadar Singh VS Surja Ram), RRT 2002(1) 318 (Bharda Khan VS Rekha Ram), RRT 2012(2) 1139 (Shyam Sundar VS Sheda Kathariz)

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का भलीभांति गहनता से अध्ययन कर, उनका अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं विद्वतापूर्ण तर्कों पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

9. अपील प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण करने से पूर्व, अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5, म्याद अधिनियम 1963 का निस्तारण करना आवश्यक होने से, उसका निस्तारण सर्वप्रथम किया जा रहा है।

a) पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, आक्षेपित नामांतरकरण सं. 964 दिनांक 05.06.1994 को पटवारी गुडा विश्नोईयान द्वारा दर्ज किया गया है तथा अगले दिन दिनांक 06.06.1994 को ही "जन जागरण शिविर" में, अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह नामांतरकरण खातेदार चोकाराम पुत्र तेजाराम के फौत होने पर सिर्फ चोकाराम के पुत्र पाबुराम, थानाराम, भागीरथराम व मोहनलाल के नाम दर्ज किया गया है तथा चोकाराम की पत्नी को फौत बताया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामांतरकरण की परत की पुश्त पर पटवारी ने चोकाराम के वारिसान, सिर्फ चार पुत्रों को ही बताया है। इस नामांतरकरण को निर्णित करने से पूर्व, चोकाराम के समस्त कानूनी वारिसान की गहन जांच करने व उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं हैं। अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र में अभिकथित किया है कि नामांतरकरण की सर्वप्रथम जानकारी के.सी.सी. हेतु जमाबदी की नकल लेने पर दिनांक 10.04.2023 को पटवारी से हुई। दिनांक 11.08.2023 को यह अपील इस न्यायालय में पेश की है, लेकिन अपील के साथ नामांतरकरण की प्रमाणित प्रति पेश ही नहीं की है तथा प्रार्थना पत्र पेश कर, म्यूटेशन की फोटो प्रति पर ही अपील दर्ज कर नोटिस जारी करने का निवेदन किया है। नामांतरकरण सं. 964 की फोटोप्रति पटवारी द्वारा जारी नहीं की गई है तथा इस पर नकल जारी करने की कोई तारीख अंकित नहीं है। खाता सं. 237 की जमाबंदी की नकल दिनांक 27.07.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। नामांतरकरण की प्रति पेश नहीं करने का कोई कारण भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है जबकि मूल नामांतरकरण तहसीलदार, लूणी के कार्यालय से इस न्यायालय में पत्रांक 2917 दिनांक 23.10.2024 से प्राप्त हुआ है एवं उसकी प्रति परत पटवारी के पास उपलब्ध रहती है। अपीलांट्स स्वयं ने अपील मीमों में एवं धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन नामांतरकण की दिनांक 10.04.2023 को पटवारी हल्का गुडा विश्नोईयान से जानकारी होना अंकित किया है फिर भी यह अपील दिनांक 11.08.2023 को इस न्यायालय में पेश की है तथा दिनांक 10.04.2023 से 11.08.2023 तक की चार माह की अवधि के विलंब का कोई संतोषजनक पर्याप्त कारण धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किया है।

इस प्रकार धारा 5 के प्रार्थना पत्र में आक्षेपित नामांतरकरण सं. 964 दिनांक 06.06.1994 की सर्वप्रथम दिनांक 10.04.2023 को ही जानकारी होने का भी कोई सबूत नहीं है तथा दिनांक 10.04.2023 की तारीख का अंकन कपोल कल्पित है। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न न्यायिक दृष्टांत पेश कर, उत्तराधिकार/विरासत के नामांतरकरणों में न्यायहित में उदार दृष्टिकोण अपना कर देरी को क्षम्य करना न्यायोचित बताया है, परंतु दिनांक 10.04.2023 से 11.08.2023 की अवधि का भी कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया है तथा प्रार्थना पत्र इस 4 माह की देरी के बारे में मौन है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

b)प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 3 तक ने जवाब पेश कर कथन किया है कि आक्षेपित नामांतरकरण की अपीलांट्स को शुरू से ही जानकारी थी तथा अपीलांट्स ने 29 वर्ष की अत्यधिक देरी (Inordinate delay) को समुचित ठोस कारणों से संतोषप्रद रूप से साबित नहीं किया है। उक्त कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत–AIR 1998 SC 2276 (K. Ramchandran VS State of Kerala), AIR 2010 SC 3043 (Balwant Singh VS Jagdish Singh & Ors.), 1999 RRD 173 (N Balakrishnan VS M. Krishnamurthy), 1999 RRD 362 (UOI VS Brijlal Prabhu Dayal & Ors), 1999 RRD 152 (Collector & A.O., C.S.C. VS Darshan Singh & Ors.), 1997 RRD 350 (State of Raj. & Ors. VS Sukhdev Singh), 1998 RRD 319 (UIT VS Poonam Chand).

उक्त न्यायिक दृष्टांतों में अपील पेश करने में हुई देरी को "Sufficient Cause" बताने पर ही क्षम्य किया जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

c)(i)माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Pathapati Subba Reddy (Dead) by LRs VS Special Deputy Collector (L.A.), 2024 SCC Online 513 में Sufficient Cause vis a vis Substantive Justice के सिद्धांतों की पैरा 26(i-viii) में यह प्रतिपादित किया है कि–

(vii) "Merits of the case are not required to be considered in condoling the delay.

(ii)Shivamma (dead) by LRs VS Karnataka Housing Board, (Civil appeal No. 11794/2025 D/d 12.09.2025)- 2025 SCC online 1969 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया है:–

"For the purpose of condonation of delay in terms of section 5 of the Limitation Act, the delay has to be explained by establishing the existence of "Sufficient cause" <u>for the entirety of the period from when limitation began till the actual date of filing</u>"

e.g. If the period of limitation is 90 days, and the appeal is filed belatedly on 100th day, then explanation must be given for the entire 100 days.

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील सं. 317/2025 (D/d 08.01.2025) H. Guruswamy & Ors. VS V.A. Krisanaih में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

"Court must not start with merit of the case. First ascertain the bonafides of the explanation offered by the party seeking condonation. Own inaction for a long, it cannot be presumed to be non deliberate delay.

It is must to prevent dilatory tactics. Liberal approach, justice oriented approach, and substantive justice should not be employed to frustrate or jettison the substantive law of limitation. It shows complete absence of judicial conscience and restraint.

Issue of limitation is not merely a technical consideration but it is based on sound public policy and equity. 'Sword of Democles' cannot be kept hanging over the head of a litigant for an indefinite period of time."

(iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Civil Appeal No. 928/2025 (Surendra Shankar VS Esque Finnamark Pvt Ltd.) में निम्नानुसार तय किया है–

"when the scope of appeal is limited to delay condonation, merits of the matter cannot be considered."

d) उक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु, म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों का परीक्षण करने पर, यह पाया गया कि अगर उदार दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो भी दिनांक 10.04.2023 को सर्वप्रथम आक्षेपित नामांतरकरण की जानकारी होने का कोई अभिलेखीय तथ्य पेश नहीं किया है। दिनांक 10.04.2023 को नामांतरकरण की प्रतिलिपि पटवारी से प्राप्त करने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। प्रस्तुत की गई नामांतरकरण की प्रति मात्र अप्रमाणित फोटोप्रति ही है, जिसे जारी करने की कोई तिथि इस पर अंकित ही नहीं है। अपीलांट्स ने यह फोटोप्रति तहसील कार्यालय से कैसे प्राप्त की है, यह अपीलांट्स ही जानता है, क्योंकि प्रस्तुत की गई फोटोकॉपी नामांतरकरण की "प्रतिपरत" की फोटोकॉपी है, जो पटवारी के पास रहती ही नहीं है। पटवारी के पास नामांतरकरण की परत ही रहती है। इस प्रकार दिनांक 10.04.2023 को पटवारी से नामांतरकरण की नकल प्राप्त करने का कथन असत्य है। इसके अतिरिक्त यह अपील दिनांक 11.08.2023 को इस न्यायालय में पेश की है, जो दिनांक 10.04.2023 से भी चार माह देरी से पेश की है। जिसका कोई को "Sufficient cause" प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

10. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय विवेचन व न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में, अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत, अपीलांट्स की कोई मदद नहीं करते है तथा अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम, 1963 बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है। फलस्वरूप प्रस्तुत अपील भी म्याद बाहर पेश होने के कारण अस्वीकार योग्य है तथा अपील का गुणावगुण पर परीक्षण करना इस न्यायालय की राय में न्यायोचित नहीं है एवं अपील भी म्याद बाहर पेश होने के कारण खारिज योग्य है।

आदेश

11. परिणामतः उपरोक्त निष्कर्षानुसार व विश्लेषणानुसार, अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5, लिमिटेशन एक्ट, 1963 को अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप, प्रस्तुत अपील को भी म्याद बाहर पेश होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।
12. निर्णय की प्रति के साथ रिकॉर्ड तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर को लौटाया जावे।
13. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) का भी एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।
14. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी) 26
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 26
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम),
जोधपुर